न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/138/2024 रजू दिनांकः 17.10.2024 रजि0 न0 2024/247

अपीलार्थीः–

श्री समर गुप्ता निवासी, 1 क 244 शिवाजी पार्क, अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 04.11.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक यू0आई0टी0/आर0टी0आई/2024/6974 दिनांक 23.10.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी समर गुप्ता निवासी, 1 क 244 शिवाजी पार्क, अलवर, जिला अलवर द्वारा आवेदन कमांक 5658/18.09.2024 के द्वारा सूचना चाही गई थी। न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 5716 दिनांक 23.09.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नहीं होने के कारण सूचित किया जा चुका है।
5. हमने अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत किए गए तथ्यों, प्रथम आवेदन दिनांक 18.09.2024 एवं इस परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का विधिक परीक्षण/अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को आवेदन कमांक 5658/18.09.2024 के द्वारा वांछित सूचना के कम में न्यास के पत्रांक 5716 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा विनिश्चय कर वांछित सूचना अस्पष्ट, विशिष्टियां रहित एवं निर्धारित प्रारूप में नहीं होन एंव चाही गई सूचना विस्तृत एवं खोजबीन कर सृजन किये जाने योग्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत देय नहीं है से सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चिय उचित एवं पर्याप्त है। अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **04.11.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)